उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड

233/1, वसन्त विहार, देहरादून –248006
टेलीफैक्स : (0135) 2761725

फीडर चारा बैक कालसी तथा पशु प्रजनन फार्म, कालसी, देहरादून के लिए गेहूं के भूसे की आपूर्ति हेतु निविदाओं का आमंत्रण

निविदा प्रपत्र कमांक	:	5981/यू.एल.डी.बी./03/1/प्रो.भूसा/09–10 दिनांक 17.02.10
निविदा प्रपत्र का मूल्य	:	रू0 225.00 (वैट सहित)
डाक द्वारा निविदा प्रपत्र मंगाने पर	:	रू0 100.00 अतिरिक्त
निविदा प्रपत्र विकय की प्रारम्भ तिथि	:	18.02.10
निविदा प्रपत्र विकय की अन्तिम तिथि	:	10.03.10
रजिस्टर्ड अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से यू0एल0डी0बी0 कार्यालय में निविदायें प्राप्त करने की अन्तिम तिथि एवं समय	:	11.03.10 अपराह्न 2.00 बजे
निविदा प्रपत्र खुलने की तिथि एवं समय	:	11.03.10 अपराह्न 2.30 बजे
निविदा प्रपत्र जमा करने का स्थान	:	उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड (यू0एल0डी0बी0) 233/1, वसन्त विहार, देहरादून
निविदा खुलने का स्थान	:	उपरोक्तानुसार।

इच्छुक निविदादाताओं के द्वारा निविदा प्रपत्र का क्रय यू0एल0डी0बी0 233/1 बसन्त विहार देहरादून के कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 11:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक किया जा सकता है।

यदि निविदा प्रपत्र वेबसाइट से उतारे (डाउनलोड) गये हों, तो निविदा प्रपत्र के साथ निविदा प्रपत्र के मूल्य रू.225.00 का **यू0एल0डी0बी0** के नाम **देहरादून** में देय बैंक ड्राफ्ट जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

रजिस्टर्ड अथवा स्पीड पोस्ट से प्राप्त निविदाओं को ही क्रय समिति द्वारा दिनांक 11.03.10 अपराह्न 2.30 बजे खोला जाएगा।

निविदा प्रपत्र का विकय विवरण–

मै0.................................

उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड

233/1, वसन्त विहार, देहरादून –248006

टेलीफैक्स : (0135) 2761725

महोदय,

1. आप निम्नानुसार गेहूं के भूसे की आपूर्ति के लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किये जाते हैं :

क. सं.	सामग्री का संक्षिप्त विवरण	सामग्री विवरण/गुणवत्ता	मात्रा (टन में)	आपूर्ति अवधि	गेहूं का भूसा पहुंचने/प्राप्ति का स्थान
1	फीडर चारा बैंक एवं पशु प्रजनन फार्म, कालसी को माह अप्रैल 2010 से जून 2010 में गेहूं के भूसे की आपूर्ति	उच्च गुणवत्ता वाला,धूल–ढेला–मिट्टी रहित, स्वच्छ, ताजा एवं फंफूदी रहित। अन्य शर्ते एवं नियम संलग्नक –1 पर	500	अप्रैल 2010 से जून 2010 में मांग प्रस्तुत करने के 15 दिन के अन्दर आपूर्ति किया जाना है।	फीडर चारा बैंक एवं पशु प्रजनन फार्म, कालसी देहरादून
2	फीडर चारा बैंक एवं पशु प्रजनन फार्म, कालसी को माह अक्टूबर 2010 से दिसम्बर 2010 में गेहूं के भूसे की आपूर्ति		500	अक्टूबर 2010 से दिसम्बर 2010 में मांग प्रस्तुत करने के 15 दिन के अन्दर आपूर्ति किया जाना है।	फीडर चारा बैंक एवं कालसी (कोटी रोड), देहरादून

2. निविदा प्रपत्र के साथ **धरोहर राशि रू0 25000.00 (रू0 पच्चीस हजार मात्र) का यू0एल0डी0बी0 देहरादून के नाम में देय बैंक ड्राफ्ट के रूप में** प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। बिना धरोहर राशि के निविदा प्रपत्र पर विचार नहीं होगा।
3. उपरोक्त तालिका में क्रम सं.–1 एवं 2 में दर्शाये गये विभिन्न समयों (1–अप्रैल 2010 से जून 2010 तक **तथा** 2–अक्टूबर 2010 से दिसम्बर 2010 तक) में आपूर्ति हेतु अलग–अलग दरें दी जायें। **कोट की गयी दोनों दरों का अलग–अलग मूल्यांकन किया जाएगा।**
4. निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0 225.00 (रू0 दो सौ पच्चीस मात्र) वैट सहित होगा (जो किसी भी दशा में वापस नही होगा)।
5. अनुबन्ध गेहूं के भूसे की उपरोक्त क्रम. सं.–1 एवं 2 में दर्शायी गयी कुल मात्रा के लिए किया जायेगा। यदि निविदा में किसी प्रकार का सुधार किया जाना हो तो उसे काटकर हस्ताक्षर एवं तिथि अंकित करने के पश्चात् पुनः लिखा जाय। ओवर राइटिंग स्वीकार नहीं होगी।
6. निविदादाता द्वारा प्रस्तावित गेहूं के भूसे की दर उपरोक्त दर्शायी गयी अवधि के लिए वैध होगी तथा उक्त अवधि में किसी प्रकार का परिवर्तन, परिमार्जन अथवा संशोधन मान्य नहीं होगा।
7. निविदा में अंकित दर केवल भारतीय रूपये में होनी चाहिए।
8. अन्य नियम एवं शर्ते संलग्नक –1 पर दी गई है।
9. **निविदाओं की वैधता** : सभी निविदाओं की वैधता निविदा खुलने की तिथि से 90 दिन तक की होनी आवश्यक है।

10. निविदाओं का मूल्यांकन :

क्रय–समिति सभी प्राप्त निविदाओं का मूल्यांकन एवं तुलना करने के लिए निम्न बिन्दुओं पर विचार करेगी.

10.1 निविदा पर उचित ढंग से हस्ताक्षर किया गया है अथवा नहीं।

10..2 निविदा सभी शर्तों, नियमों तथा निर्धारित मानको/विशेषताओं की पुष्टि करती है या नही।

10.3 गेहूं के भूसे की आपूर्ति हेतु **''माह अप्रैल 2010 से जून 2010 तक''** तथा **''माह अक्टूबर 2010 से दिसम्बर 2010 तक'' कोट की गयी दोनों दरों का अलग–अलग मूल्यांकन किया जाएगा।**

11. **आपूर्ति आदेश**

निविदा की वैधता अवधि समाप्त होने से पूर्व उसी निविदादाता को आपूर्ति–आदेश प्रेषित किया जाएगा, जिसकी निविदा समस्त शर्तो एवं नियमों जो कि संलग्नक–1 में दी गयी हैं, को पूर्ण करती है। आपूर्ति सम्बन्धी सभी प्रक्रियाओं का उल्लेख क्रय–आदेश में किया जायेगा।

12. सामग्री (गेहूं का भूसा) की आपूर्ति होने के 15 दिन के अन्दर आपूर्तित सामग्री के बिलो का भुगतान कर दिया जायेगा।

13. निविदा प्रपत्र का क्रय एवं प्रस्तुतीकरण :

13.1 निविदा प्रपत्र का क्रय दिनांक **18.02.10 से 10.03.10 तक** किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 11:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक किया जा सकता है। डाक द्वारा निविदा फार्म मंगवाने पर रू. 100.00 डाक खर्च के रूप में अलग से देय होगा।

13.2 यदि निविदा प्रपत्र वेबसाइट से उतारे (डाउनलोड) गये हो, तो ऐसे निविदा प्रपत्र के साथ निविदा प्रपत्र के क्रय मूल्य का **बैंक ड्राफ्ट** जमा किया जाना आवश्यक होगाा।

13.3 निविदा प्रपत्र के सभी पन्नों को हस्ताक्षर एवं मोहर लगाकर एक लिफाफे में सील कर रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से यू.एल.डी.बी., कार्यालय को प्रेषित करें। सील लिफाफे के ऊपर निविदा का सम्पूर्ण विवरण एवं ''इस लिफाफे को दिनांक 11.03.10 को अपराहन 2.30 बजे तक न खोला जाये'' का उल्लेख करना आवश्यक है।

13.4 रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजे गये निविदा प्रपत्र यू0एल0डी0बी0 कार्यालय द्वारा दिनांक 11.03.10 को अपराहन 02:00 बजे तक ही प्राप्त किये जाएगे। दिनांक 11.03.10 को अपराहन 02:00 बजे के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

13.5 यू0एल0डी0बी0 कार्यालय द्वारा समय से प्राप्त निविदाओं को दिनांक 11.03.10 को अपराहन 2.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा।

संलग्नक : 1. निविदा की शर्तें एवं नियम
2. निविदा फार्म

मुख्य अधिशासी अधिकारी
यू0एल0डी0बी0

संलग्नक – 1

निविदा की शर्तें एवं नियम

1. **निर्धारित तिथि एवं समय तक रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा प्राप्त निविदाएं ही यू0एल0डी0बी0 के द्वारा स्वीकार की जाएंगी।**
2. **फर्म के प्रतिनिधि द्वारा व्यक्तिगत रूप से यू0एल0डी0बी0 कार्यालय में जमा करायी गयी निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।**
3. बिना धरोहर राशि के निविदा प्रपत्र पर विचार नहीं होगा।
4. गेहूं के भूसे की आपूर्ति हेतु **''माह अप्रैल 2010 से जून 2010 तक''** तथा **''माह अक्टूबर 2010 से दिसम्बर 2010 तक''** अलग–अलग दरें दी जायें। **कोट की गयी दोनों दरों का अलग–अलग मूल्यांकन किया जाएगा।**
5. निविदादाता द्वारा निविदा में अंकित दर में सभी प्रकार के लागू होने वाले कर (टैक्स), शुल्क, आबकारी, आकस्मिक व्यय, लोडिंग, अनलोडिंग, तोलने का खर्चा तथा गन्तव्य के भंडारण कक्ष (गोदाम) तक परिवहन व्यय सम्मिलित होना चाहिए।
6. यदि निविदा प्रपत्र वेबसाइट से उतारे (डाउनलोड) गये हो तो ऐसे निविदा प्रपत्र के साथ निविदा प्रपत्र के क्रय मूल्य का **बैंक ड्राफ्ट** जमा किया जाना आवश्यक होगाा। बिना बैंक ड्राफ्ट के प्राप्त निविदा प्रपत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
7. सफल निविदादाता को निविदा स्वीकृत सम्बन्धी आदेश निर्गत होने की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर रू0 100 मूल्य के नान जूडीशियल स्टाम्प पेपर पर द्विपक्षीय अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। यह अनुबन्ध सफल निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये रू0 100.00 नान जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर किया जायेगा।
8. सफल निविदादाता को 500–500 ग्राम गेहूं के भूसे (जिसकी आपूर्ति की जानी है) के 2 नमूने को प्लास्टिक के पारदर्शी पैंकिंग (Transparent Packing) में यू.एल.डी.बी. कार्यालय में जमा कराने होगे।
9. सफल निविदादाता को कार्यपूर्ति प्रतिभूति (Performance Security) के रूप में गेहूं के भूसे के कुल मूल्य की 5 प्रतिशत धनराशि को निविदा स्वीकृत सम्बन्धी आदेश निर्गत होने की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर के अन्दर यू.एल.डी.बी. के पक्ष में जमा करानी होगी।
10. कार्यपूर्ति प्रतिभूति (Performance Security) बैंक ड्राफ्ट, पे–ऑर्डर अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/सहकारी बैंक के एफ.डी.आर. के रूप में ही स्वीकार्य होगी, जो यू0एल0डी0बी0 के नाम देहरादून में देय/धरोहर (pledge) रहेगी। कार्यपूर्ति प्रतिभूति यदि एफ.डी.आर. के रूप में दी जाती है तो उसका कार्य पूर्ति होने की अवधि के 60 दिन बाद तक वैध होना आवश्यक है। कार्यावधि समाप्त होने के पश्चात् कार्यपूर्ति प्रतिभूति (Performance Security) नियमानुसार वापस कर दी जायेगी।
11. किसी भी दशा में निविदा प्रपत्र का मूल्य वापस नही किया जायेगा। यदि किसी कारण से निर्धारित तिथि एवं समय पर निविदाएं नही खोली गयी तो निविदा बाक्स में पड़ी हुई निविदाओं को मोहरबंद बाक्स (Sealed box) में सुरक्षित रख दिया जायेगा तथा नयी निर्धारित तिथि एवं समय पर निविदा बाक्स को निविदादाताओं अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि तथा क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा।
12. आपूर्ति किए जाने वाले गेहूं के भूसे की मात्रा में 25 प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि हो सकती है।
13. आपूर्ति किये जाने वाले गेहूं के भूसे में नमी की मात्रा किसी भी दशा में 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये। इससे अधिक नमी/आर्द्रता होने पर तद्नुसार बिल से धनराशि की कटौती कर ली जायेगी। यह शर्त आपूर्तिकर्ता को मान्य होगी।
14. भूसा आपूर्तिकर्ता को बरसात (मानसून/शीतकाल) के मौसम में आपूर्ति करते समय ट्रक को तिरपाल द्वारा अच्छी प्रकार ढक दिया जाना चाहिए ताकि भूसा पानी से नहीं भीगे।
15. आपूर्ति किया जाने वाला गेहूं का भूसा धूल–मिट्टी रहित, स्वच्छ, ताजा तथा ढेला (clump) एवं फफूंदी रहित होना चाहिए।
16. निविदादाता की शर्तो के आधार पर प्रस्तुत निविदाओं पर कोई विचार नही किया जायेगा।
17. यदि सफल निविदादाता निर्धारित अवधि के अन्तर्गत कार्यपूर्ति प्रतिभूति राशि जमा करने में असफल रहेगा तो उसका आदेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा धरोहर राशि बोर्ड द्वारा जब्त कर ली जायेगी। इसके पश्चात् द्वितीय सफल निविदादाता को आपूर्ति आदेश निर्गत किया जायेगा।

18. सभी प्रकार की धनराशियां जैसे निविदा प्रपत्र मूल्य, धरोहर राशि अथवा कार्यपूर्ति प्रतिभूति राशि नकद नही स्वीकार्य होगी।

19. क्रय–आदेश निर्गत हो जाने के उपरान्त यदि आपूर्तिकर्ता निर्धारित अवधि के अन्तर्गत गेहूं के भूसे की वांछित मात्रा आपूर्ति करने में असफल रहता है तो निविदादाता द्वारा जमा की गई सम्पूर्ण कार्यपूर्ति प्रतिभूति राशि को जब्त करने का अधिकार यू.एल.डी.बी. के पास सुरक्षित रहेगा।

20. भूसा आपूर्तिकर्ता को भूसे का भार किसी प्रमाणित धर्मकांटा से करवाना होगा, इसके लिए भूसे से भरा वाहन तथा खाली वाहन का भार संस्था द्वारा नामित किसी अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष कराना होगा। यह नियम प्रत्येक वाहन पर लागू होगा। **भार करवाने में जो व्यय आयेगा उसका भुगतान भूसा आपूर्तिकर्ता को स्वयं करना होगा।**

21. प्रत्येक भूसा –वाहक वाहन के भूसे का मिलान आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत नमूने से किया जायेगा। यदि आपूर्ति किये जाने वाले भूसे की गुणवत्ता नमूने के अनुसार नही पायी जायेगी तो भूसे की कीमत में कटौती की जायेगी अथवा सम्पूर्ण भूसा –वाहक वाहन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा। इसके लिए भूसा आपूर्तिकर्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

22. आपूर्तिकर्ता द्वारा अपनी आयकर विवरणी संस्था द्वारा मांग करने अथवा आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुत करनी होगी।

23. कार्यावधि के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से निविदा सम्बन्धी कोई भी वांछित सूचना प्राप्त की जा सकती है।

24. समय–समय पर भूसे की आपूर्ति हेतु दिये गये आदेश के समक्ष आपूर्ति के लिए दी गयी निर्धारित अवधि में ही भूसे की आपूर्ति अनिवार्य रूप से करनी होगी। यदि भूसे की आपूर्ति निर्धारित अवधि के अन्तर्गत नहीं होती है तो प्रति सप्ताह विलम्ब होने पर आदेश के क्रय मूल्य का 0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से अधिकतम 10 प्रतिशत तक की धनराशि की कटौती बिल अथवा कार्यपूर्ति प्रतिभूति से कर ली जाएगी।

25. यू0एल0डी0बी0, देहरादून के पास बिना कोई कारण बताये, निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने तथा समस्त निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।

मुख्य अधिशासी अधिकारी
यू0एल0डी0बी0

संलग्नक –2

निविदा फार्म

क. सं.	सामग्री का संक्षिप्त विवरण	कुल मात्रा (टन में)	आपूर्ति अवधि	आपूर्ति दर प्रति टन (रू0)	कुल मूल्य (रू0)	
					अंको में	शब्दों में
1	फीडर चारा बैंक एवं पशु प्रजनन फार्म, कालसी को गेहूं के भूसे की अप्रैल 2010 से जून 2010 तक आपूर्ति	500	अप्रैल 2010 से जून 2010 तक मांग प्रस्तुत करने के 15 दिन के अन्दर आपूर्ति किया जाना है।			
2	फीडर चारा बैंक एवं पशु प्रजनन फार्म, कालसी को गेहूं के भूसे की अक्टूबर 2010 से दिसम्बर 2010 तक आपूर्ति	500	अक्टूबर 2010 से दिसम्बर 2010 तक मांग प्रस्तुत करने के 15 दिन के अन्दर आपूर्ति किया जाना है।			

इस मूल्य में गेहूं के भूसे की कीमत, सभी प्रकार के टैक्स, शुल्क, आकस्मिक व्यय, लोडिंग, अनलोडिंग व्यय, तोलने का खर्चा तथा आपूर्ति स्रोत से लेकर गन्तव्य स्थल (केन्द्र) तक का परिवहन व्यय सम्मिलित है।

निविदा के साथ जमा कराई जा रही धरोहर धनराशि जो कि संलग्न है का विवरण निम्न्वत है –

1. बैंक ड्राफ्ट नम्बर .... दिनांक .... राशि ....
2. बैंक का नाम .... शाखा..

दिनांक ....

निविदादाता के हस्ताक्षर ....
निविदादाता का नाम ....

टेलीफोन नं0 ....
पूर्ण पता ....
...

पैन (PAN)..